भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 802073

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 802072

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 802071

अम्बिका राम देवी डिग्री कालेज समिति
एल–4/73,सेक्टर–एम, अलीगंज जिला–लखनऊ
की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष = 2016–2017

क्रम सं0	नाम /पिता /पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्रीमती अर्चना पत्नी श्री राजेश कुमार	2/172 विकास नगर लखनऊ	अध्यक्ष	व्यापार
2–	श्री अभिषेक अन्तर्वेदी पुत्र डा0 चन्द्र कुमार अन्तर्वेदी	एल–4/73 सेक्टर– एम अलीगंज, लखनऊ	उपाध्यक्ष	व्यापार
3–	डा0 चन्द्र कुमार अन्तर्वेदी पुत्र स्व0 अम्बिका प्रसाद	एल–4/73 सेक्टर– एम अलीगंज, लखनऊ	सचिव/प्रबन्धक	व्यापार
4–	श्रीमती रागिनी अन्तर्वेदी पत्नी श्री चन्द्र कुमार	एल–4/73 सेक्टर– एम अलीगंज, लखनऊ	उपप्रबन्धक	समाजसेवा
5–	श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री [illegible] दयाल	ई–3, 300 सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6–	शिखिका अन्तर्वेदी पुत्री श्री अनिल निगम	एल–4/73 सेक्टर– एम अलीगंज, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7–	श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार	ग्राम व पोस्ट महावा , सीतापुर	सदस्य	समाजसेवा

भूतपूर्व अध्यक्ष हस्ताक्षर

अशोक कुमार

(सत्यप्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

1– Archana

2– [illegible]

3– Regini

4– [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम: अम्बिका राम देवी डिग्री कालेज समिति।

(2) संस्था का पता: एस-4/73,सेक्टर एच अलीगंज जिला-लखनऊ।

(3) संस्था का कार्य क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

सदस्यता :

यह संस्था बौद्ध धर्म की अनुयायी है और इसके सभी वर्तमान सदस्य बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा जो बौद्ध धर्म अनुयायी है वही व्यक्ति प्रबन्धकारिणी समिति में पदाधिकारी एवं सदस्य हो सकेंगे।

आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति निर्धारित रूप से एक मुश्त रुपया 1000/-नगद या इतने ही या इससे ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।आजीवन सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन से बनाये जायेंगे।

सामान्य सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रुपया 101/-रुपये वार्षिक सदस्यता प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

संरक्षक सदस्य :

समाज के प्रतिष्ठित सुशिक्षित एवं गणमान्य व्यक्ति जैसे विधायक,सांसद,कलाकार शिक्षाविद् एवं अन्य संस्थाओं के व्यक्तियों को प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन से संस्था का संरक्षक सदस्य मनोनीत किया जायेगा।

(5) सदस्यता की समाप्तिः

1-मृत्यु हो जाने पर।
2-पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3-किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4-लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
5-निर्धारित समय से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6-अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग-पत्र पारित होने पर।
7-बिना सूचना दिये हुए लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

(6) संस्था के अंग :

(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा :

गठन :

संस्था के आजीवन सदस्यों,संरक्षक तथा सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें:

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सत्य प्रतिलिपि

सूचना अवधि :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

-2-

गणपूर्ति :

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

निर्वाचन वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

1—प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2—संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3—संस्था में संशोधन,परिवर्तन व परिवर्धन करना।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन :

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा,जिसमें—अध्यक्ष—एक,उपाध्यक्ष—एक सचिव/प्रबन्धक—एक,उपप्रबन्धक एक,कोषाध्यक्ष एक तथा अन्य दो सदस्य होंगे,इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी सदस्यों की संख्या कम से कम 07 व अधिकतम 21 तक की जा सकती है।

बैठकें :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 72 घंटे पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति सदस्यों 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

1—संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2—संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक तैयार करना।
3—दान,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
4—उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार,केन्द्र सरकार,शिक्षा विभाग,समाज कल्याण विभाग स्वास्थ्य विभाग,सिफसा,विश्व बैंक,कपार्ट,हार्टिकल्चर विभाग,युवा एवं खेलकूद मंत्रालय महिला कल्याण निगम,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,ग्रामोद्योग बोर्ड,कपार्ट सिडबी नाबार्ड,अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,सांस्कृतिक विभाग,प्रौढ़ शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय,एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण अनुदान चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के उद्देश्यों में लगाना।

द्वारा प्रतिलिपि

5–संस्था के माध्यम से प्रबन्धसमितियों का गठन करना तथा अधिकृत कर ऐसी किसी शाखा,ग्राम–साखापुर [illegible] हरैया बस्ती में [illegible] खोलना एवं [illegible] में [illegible] की व्यवस्था कराना।

6–संस्था के लिए चल–अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना तथा उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

<u>कार्यकाल :</u>

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच साल का होगा।

(ब) <u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :</u>

<u>अध्यक्ष :</u>

1–समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2–बैठकों के लिए तिथि निर्धारित करना स्थगित करना एवं निरस्त करना।
3–समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4–संस्था के विकास के लिये हर सम्भव प्रयास करना।

<u>उपाध्यक्ष</u>

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा दिये गये अधिकारों का निर्वहन करना व उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

<u>सचिव/प्रबन्धक</u>

1–संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2–राजकीय सहायता,अनुदान ऋण प्राप्त करना।
3–प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
4–पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
5–सदस्यों के आवेदन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।
6–वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति वेतन वृद्धि निलम्बन व बहाली करना।
7–समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
8–संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति की रक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना।
9–संस्था के नाम से पत्र व्यवहार करना।
10–बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
11–सदस्यों का नाम रजिस्टर में अंकित करना।
12–संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
13–संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
14–बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
15–संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
16–संस्था से सम्बन्धित समस्त बिल व वाउचरों,अनुबन्ध पत्रों,संविदा,आवंटन पत्रों,नियुक्ति पत्रों, लेखों–विलेखों,बंधक पत्रों, ऋण पत्रों, किरायानामा पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
17–संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

उपाध्यक्ष :

1—सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रदत्त कार्यों को करना।

2—संस्था के विकास में सदा प्रयत्नशील रहना।

कोषाध्यक्ष :

1—आय—व्यय का लेखा—जोखा रखना।

2—दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।

3—सचिव/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

(11) संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक,सहकारी बैंक,निजी बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा,जिसका संचालन सचिव/प्रबन्धक के एकल हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

(12) संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व सचिव/प्रबन्धक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर होगा।

(14) संस्था के अभिलेख :

1—सदस्यता रजिस्टर
2—कार्यवाही रजिस्टर
3—स्टाक रजिस्टर
4—चैक बुक आदि

(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(16)

प्रतिबन्ध

क—विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख—विद्यालय की पंजीकृत प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग—विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों/बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

-6-

घ–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ङ–संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य मदों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च–कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ–राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज–विद्यालय का रिकार्ड नियमित/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

झ–उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्धन संशोधन नहीं किया जायेगा।

दिनांक

(सत्यप्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

1- अशोक कुमार

2-

3- Ragini

4-

सत्य प्रतिलिपि

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम : [illegible] राम देवी [illegible] कालेज समिति।
(2) संस्था का पता : एल-4/12, सेक्टर-एल अलीगंज जिला-लखनऊ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
(4) संस्था के उद्देश्य

1- जनसाधारण का सामाजिक,मानसिक,नैतिक,चारित्रिक,शैक्षिक,बौद्धिक आध्यात्मिक विकास करना।

2- शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालयों,विकलांग विद्यालयों की शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना तथा बालक बालिकाओं के पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना।

3- एड्स,कैन्सर,टी0बी0,हेपेटाइटिस,मधुमेह,कुष्ठ रोग,पल्स पोलियो आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करना तथा चल एवं अचल चिकित्सालयों की व्यवस्था कर संचालित करना।

4- ज्ञानवर्धन हेतु निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

5- समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम,विचार गोष्ठी,सेमिनार, सम्मेलन,खेलकूद प्रतियोगिता वाद-विवाद प्रतियोगिता,पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय जागरूकता शिविर स्वास्थ्य शिविर,सामाजिक जागरूकता, प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रशिक्षण शिविरों आदि का आयोजन व संचालन करना।

6- महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को सिलाई कढ़ाई,बुनाई,शिल्पकला,ललित कला,संगीत गायन वादन नाटक कवि गोष्ठियों तथा सांस्कृतिक विकास,फैशन डिजाइनिंग,[illegible] डाल मेकिंग [illegible] फल संरक्षण,खाद्य [illegible] प्रिंटिंग,स्क्रीन प्रिंटिंग,आफसेट प्रिंटिंग पेंटिंग,ग्लास पेन्टिंग खादी एवं ग्रामोद्योग कला मिट्टी के खेल एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलंबन की भावना जागृत करना।

7- समाज के अंधे,लूले,बहरे,मूक बधिरों,निराश्रितों [illegible] विधवाओं वृद्धों निराश्रित,पिछड़ी जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अल्पसंख्यकों,दलितों,पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना व पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करना एवं नशामुक्ति कार्यक्रम चलाना,नशामुक्ति का प्रचार प्रसार करना।

8- आकस्मिक दैवीय आपदाओं जैसे महामारी,बाढ़,सूखा,अग्निकांड,भूकम्प,ओलावृष्टि,तूफान,एक्सीडेन्ट आदि से पीड़ित लोगों की हर सम्भव सहायता करना तथा धर्मार्थ चिकित्सालय स्थापित एवं सेवा कार्य करना।

9- समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0,केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,कपार्ट,खादी ग्रामोद्योग,सिडबी,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,यूनीसेफ,[illegible] इण्डिया,[illegible] इण्डिया,राजीव [illegible] इन्दिरा आवास,राष्ट्रीय महिला कोष,विश्व बैंक,सूडा,डूडा,विश्व स्वास्थ्य संगठन,जलसंसाधन मंत्रालय,डी0आर0डी0ए0 नेहरू युवा केन्द्र,मद्य निषेध,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय [illegible] सिंचाई विभाग,रेन वाटर हार्वेस्टिंग,सांसद निधि विधायक निधि,प्रधानमंत्री रोजगार योजना पशुपालन विभाग उ0प्र0 विकलांग कल्याण निदेशालय,महिला कल्याण निगम,उ0प्र0 राष्ट्रीय [illegible] बोर्ड,पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रचार प्रसार एवं संचालन करना।

10– पशुपालन तथा डेरी मिल्क इकाई विभिन्न प्रकार के उद्योगों तथा कुटीर उद्योग,मछली पालन,मुर्गी पालन,मधुमक्खी पालन तथा रेशम के कीट का पालन सुअर पालन,बकरी पालन उद्योग की जानकारी देना।

11– जड़ी बूटियों का खेती एवं आयुर्वेदिक पर आधारित विज्ञापन रस-रसायन भस्म और विभिन्न प्रकार के औषधियों का शोध करना एवं लोगों को जानकारी देना।

12– विकलांग युवक एवं युवतियों एवं बालक बालिकाओं तथा सभी वर्ग के विकास हेतु व्यावसायिक कम्प्यूटर,टीचर ट्रेनिंग, [illegible] पैरा मेडिकल, विधि एवं डिजास्टर मैनेजमेन्ट का प्रशिक्षण एवं विद्यालयों का संचालन करना।

13– हिन्दी अंग्रेजी उर्दू अरबी फारसी,संस्कृत एवं क्षेत्रीय भाषा का प्रचार प्रसार तथा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक विद्यालयों का संचालन करना एवं शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना। अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ महिलाओं हेतु शिक्षा केन्द्र पत्राचार व [illegible] शिक्षा केन्द्र,अनुसूचित जाति,जनजाति के बालक बालिकाओं के लिये छात्रावास,आवासीय विद्यालयों का संचालन करना एवं साक्षरता का प्रचार प्रसार करना।

14– फल सब्जी,रिफ्रिजरेशन संरक्षण,मांस मछली संरक्षण मुर्गी पालन,भेड़ पालन डेरी इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

15– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्यालय, छात्रावास,पुस्तकालय,व्यायामशाला,डिग्री कालेज चिकित्सालय,पशुचिकित्सालय,इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज व तकनीकी शिक्षा संस्थान विकलांग गृह शिल्प कला केन्द्रों की पूर्व शासन की अनुमति के उपरान्त संचालन करना।

16– केन्द्रीय राजकीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को संचालित करना।

17– बौद्ध धर्म के बालक–बालिकाओं की पढ़ाई व उनके शैक्षिक उत्थान व विकास के लिए कार्य करना।

18– बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार बौद्ध विहारों की स्थापना बौद्ध दीक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।

19– बौद्ध धर्म सम्राट अशोक महान से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन एवं उच्च स्तरीय ज्ञानवर्धक पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना करना।

20– संस्था शैक्षणिक संस्था के रूप में प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल,इण्टरमीडिएट डिग्री कालेज, विधि कालेज, चिकित्सा तकनीकी व अन्य पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय स्थापना शासन की पूर्व अनुमति से करना।

हस्ताक्षर

1–

2–

3–

4–

सत्य प्रतिलिपि

I-15480V

2.3.2013